न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या– 108/12

रामकरन आदि–––बनाम––– राजनाथ आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 ग 2

दिनांक–13.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 ग 2 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 ग 2 प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं०–4 व 5 द्वारा इस आशय का दिया गया है कि दिनांक 22.03.2021 को प्रार्थीगण न्यायालय पर समय से न पहुंच पाने के कारण प्रार्थना पत्र 93 ग खारिज कर दिया गया तथा वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य नियत कर दिया गया। दिनांक 26.03.2021 से कोरोना महामारी की बीमारी के कारण न्यायालय बन्द कर दिया गया जिस कारण से रिकाल हेतु प्रार्थना पत्र तुरन्त नहीं दिया जा सका। प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग गुणदोष के आधार पर निस्तारित होना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 रिकाल करके प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना प्रतिवादी सं०–4 व 5 द्वारा की गयी।

वादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेश दिनांकित 22.03.2021 को रिकॉल कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र कागज सं० 103 ग 2 प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं०–4 व 5 का कथन है कि दिनांक 22.03.2021 को प्रार्थीगण न्यायालय पर समय से न पहुंच पाने के कारण प्रार्थना पत्र 93 ग खारिज कर दिया गया तथा वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य नियत कर दिया गया। कोरोना महामारी की बीमारी के कारण न्यायालय बन्द हो जाने के कारण से रिकाल हेतु प्रार्थना पत्र समय से नहीं दिया जा सका। प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। वादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है। जहाँ तक वादी को विलम्ब से कारित क्षति का प्रश्न है तो हर्जे से इसकी भरपाई सम्भव है। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है तथा पक्षकार द्वारा कोई मौका प्रार्थना पत्र स्वीकार न करने तथा अपरिहार्य स्थिति में ही अवर न्यायालय द्वारा मौका प्रदान किये जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुणदोष पर पूर्ण व अन्तिम रूप से निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०–103 ग 2 150/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित 22.03.2021 रिकॉल किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग दिनांक –14.10.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड यू०पी० 2520